

पंकरण मिति - 11/25/24

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इतिशायतय जज	नम्बर अहकाम हुकम ख में ज
------------	----------------------------------	-----------------------------------

28/1/2025

आज दिनांक पत्रावली पेश हुई वकील जर्बी इप्राचर है।
 वकील जर्बी द्वारा कृपाव्योपात्र को जारी किए हुए नोटिसों
 की रसीदें / डिप्लोमरी रिपोर्ट की प्रति पेश की गयी, जो
 आवेदन मिलाव भी जारी। कृपाव्योपात्र अवयुक्त प्रत्येक
 के इप्राचर नहीं हैं। जर्बी वकील द्वारा फलर रेस्टोरेशन
 प्रार्थना - पत्र पर क्लस होने वाले का डिप्लोम मिलाव मय
 वकील जर्बी के अवरोध पर कृपाव्योपात्र की कृपाव्योपात्र
 में वकील जर्बी की एक प्रतीक क्लस हुनी जयी। पत्रावली
 का इवलोकन किया गया। वकील जर्बी द्वारा पेश प्र पत्र
 स्वीकार किया जाता है।

अतः वकील जर्बी द्वारा पेश प्र पत्र
 रेस्टोरेशन स्वीकार कर निम्न पत्रों के क्लस मूल
 कपील को पुनः गठक पर निम्न पत्रों के अवरोध
 निम्न पत्रों हैं। प्रार्थना - पत्र निम्न प्रकृत है। क्लस वकील
 मूल कपील के साथ डिप्लोम किया जावे।

जिला कलक्टर
 खरखल-तिजारा

न्यायालय - जिला कलक्टर - खैरथल-तिजारा
उम्मान - सुभाष चंद बत्रा, राधेश्याम वर्मा

प्रकरण संख्या - 11/25/24

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

22/1/2025

आज दिनांक पचासवीं पेना ड्रॉ वकील जर्बी उपस्थित हैं।
वकील जर्बी द्वारा कर्णवीर पात्र को जारी किए गए नोटिसों
की रसीदें / डिप्लोमरी रिपोर्ट की प्रति पेश की गयी, जो
आक्षेप निरस्त की गयी। कर्णवीर पात्र अवयुक्त प्रत्येक
के उपस्थित नहीं हैं। जर्बी वकील द्वारा प्रत्येक रीस्टोरेषन
आर्दना - पद पर कक्षा होने वाले का निर्दिष्ट किया गया
वकील जर्बी के अनुसार पद कर्णवीर पात्र की उपस्थिति
ने वकील जर्बी की एक पक्षीय कक्षा हुकी गयी। पचासवीं
का अवलोकन किया गया। वकील जर्बी द्वारा पेश प्रत्येक
स्वीकार किया जाता है।

अतः वकील जर्बी द्वारा पेश प्रत्येक
रीस्टोरेषन स्वीकार कर निर्दिष्ट करने के कारण मूल
अपील को पुनः नष्ट पर निर्दिष्ट करने के अर्थ
निर्दिष्ट है। आर्दना - पद निर्दिष्ट प्रत्येक है। कक्षा वकील
मूल अपील के साथ निर्दिष्ट किया गया।

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा